भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.3774
16 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: आलू हेतु शीतागार

3774. श्री सुब्रत पाठकः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तर प्रदेश के शीर्ष आलू उत्पादक जिलों में से एक कन्नौज जिला में आलू के भंडारण के लिए भांडागारों/शीतागारों की स्थापना के लिए कोई योजना है;

(ख) क्या सरकार का विचार उन आलू उत्पादकों के हितों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के कन्नौज में कोई विशेष कदम उठाने का है जिनकी अतिरिक्त उपज शीतागारों के अभाव में सड़ जाती है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार कन्नौज जिले में आलू के अत्यधिक उत्पादन को ध्यान में रखते हुए कन्नौज में कोई खाद्य प्रसंस्करण फैक्ट्री स्थापित करने का विचार रखती है तथा यदि हां, तो इसकी कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख) : कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसीएंडएफडब्ल्यू) समेकित बागवानी मिशन (एमआईडीएच) के अंतर्गत फसलोपरांत प्रबंधन सहित बागवानी विकास से संबंधित वित्तीय सहायता का दायरा विभिन्न कार्यकलापों के लिए भी बढ़ा रहा है। आलू के साथ-साथ नाशवान पदार्थों के लिए शीत भंडार गृह सहित फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना का निर्माण करने के लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत की 35 प्रतिशत तथा पहाड़ी एवं अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजना लागत की 50 प्रतिशत ऋण संबद्ध पार्श्वांत राज सहायता का प्रावधान है। यह घटक उद्यमियों, निजी कंपनियों, सहकारी समितियों, किसान समूहों द्वारा मांग/उद्यमी वाहित है।

राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 2018-19 के दौरान कन्नौज जिले में 46455 हैक्टेयर भूमि पर 1022010 मीट्रिक टन आलू का उत्पादन हुआ है। कन्नौज में 13.05 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले निजी क्षेत्र के 126 शीत भंडारण हैं जिनमें से 11.09 लाख मीट्रिक टन उत्पादों को शीत भंडारण में भंडारित किया गया था। क्योंकि कन्नौज जिले में उत्पादन से कहीं

अधिक भंडारण क्षमता है और भंडारण जगह की कमी के कारण आलू के सड़ने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) एवं (घ) : खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) के समेकित विकास हेतु एक स्कीम ऑपरेशन ग्रीन स्कीम शुरू की है। इस स्कीम में लघु अवधि उपाय के तौर पर मूल्य स्थिरीकरण उपाय शामिल हैं जिसके अंतर्गत फसल कटाई के समय फसल आधिक्य की स्थिति में परिवहन लागत का 50 प्रतिशत और उपयुक्त भंडारण सुविधाओं को हायर करने की लागत का 50 प्रतिशत राज सहायता के रूप में दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इस स्कीम में दीर्घावधि कार्यनीति के रूप में समेकित मूल्य श्रृंखला विकास परियोजना को स्थापित करने की परिकल्पना है जिसमें एफपीओ की क्षमता निर्माण, गुणवत्ता युक्त उत्पादन, फसलोपरांत प्रसंस्करण सुविधाएं, कृषि-लॉजिस्टिक्स, विपणन/खपत बिन्दुओं जैसे घटक शामिल हैं। इस स्कीम में समेकित मूल्य श्रृंखला विकास हेतु प्रमुख उत्पादक राज्यों में प्रत्येक टीओपी के लिए चयनित 3 से 4 क्लस्टरों में पायलेट परियोजना को शुरू करने का प्रावधान है जो अधिकतम 50 करोड़ रूपए प्रति परियोजना के अध्यधीन सभी क्षेत्रों में मान्य परियोजना लागत के 50 प्रतिशत (एफपीओ के लिए 70 प्रतिशत) की दर से सहायता अनुदान शामिल हैं।

राज्य सरकार के साथ परामर्श करने के पश्चात आलू के लिए समेकित मूल्य श्रृंखला विकास शुरू करने के लिए चयनित क्लस्टरों के तौर पर कन्नौज सहित उत्तर प्रदेश के 6 जिलों का चयन किया गया है।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार 50 करोड़ रूपए से अधिक लागत वाली मेगा फूड पार्क परियोजनाओं के लिए 10 प्रतिशत की अतिरिक्त सहायता दे रही है। इस स्कीम के अंतर्गत राज्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को ब्याज छूट भी प्रदान कर रहा है।

*****